शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 05-11-2020, वर्ग - BA-II

IDBI बैंक (Industrial Devolopment Bank of India)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) की स्थापना 1 जुलाई 1964 ई० को की गयी। 16 फरवरी 1976 तक यह Reserve Bank of India की एक सहायक संस्था (Wholly-Owned Subsidiary) के रूप में कार्य करता रहा। उसके बाद इसे सरकार द्वारा एक स्वायत्तशासी निगम (Autonomous Corporation) का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की औद्योगिकरण के स्तर को उन्नत बनाना तथा औद्योगिक विकास से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना मे सक्रिय भाग लेना है। इस मूलभूत उद्देश्यों के पूर्ति के साथ-साथ औद्योगिक वित्त की पूर्ति करना भी इसप्रकार के बैंक के लिये अनिवार्य हो जाता है क्योंकि वित्त-पूर्ति की समुचित व्यवस्था के बिना औद्योगिक विकास संभव

नही होता है। अतः ये दोनो उद्देश्य परस्पर अनुपूरक कहे जा सकते है।

जिन दो उद्देश्यों के पूर्ति के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी, वे इस प्रकार है—

(a) एक केन्द्रीय संस्था के रुप में औद्योगिक वित्त से संबंधित विभिन्न वित्त संस्थाओं की नीतियों एवं उनके कार्यो मे समन्वय स्थापित करना तथा सुसंगठित औद्योगिक वित्त का विकास करने मे उन सबका नेतृत्व करना जिससे की प्रत्येक संस्था अपने-अपने क्षेत्र मे कार्य करती हुई भी समान्य उद्देश्य की पूर्ति मे सहायक हो सके।

(b) देश के औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के लिए कुछ विशेष उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित करना, जैसे रासायनिक खाद, लौह मिश्रित धातुऐं, विशेष इस्पात

पेट्रो रसायन आदि। ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें तत्काल अथवा पर्याप्त लाभ की संभावनाएँ बहुत कम हैं कुछ जिनका विकास किया जाना अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

16 जनवरी 1976 से औद्योगिक विकास बैंक को RBI के संगठन से पृथक कर दिया गया। इसके लिए IDBI अधिनियम में संशोधन किया गया। अपने पुनर्गठित रूप में विकास बैंक को एक शीर्ष संस्था (Apex institution) की भाँति एक व्यापक भूमिका सौंपी गयी जिसमें इसको विकास बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य भी सौंप दिया गया।

अब इस विकास बैंक के संचालन मंडल में 22 सदस्य अध्यक्ष सहित हो सकते हैं। इस समय इनमें 19 संचालक हैं। अध्यक्ष

का नामांकन केन्द्रीय सरकार एवं उपाध्यक्ष का नामांकन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसके संचालक मंडल में अन्य संबंध संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होते हैं।

राज्यों के वित्तीय निगमों एवं भारत के यूनिट ट्रस्ट (UTI) की अंश पूँजी में रिजर्व बैंक का जो हिस्सा था वह विकास बैंक में हस्तांतरित कर दिया गया। अब केन्द्रीय सरकार के इस बैंक को निर्देश देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया।

⇒ वित्तीय साधन — औद्योगिक विकास बैंक के वित्तीय स्रोत हैं — i) अंशपूंजी (ii) भारत सरकार तथा RBI से ऋण (iii) बांडो तथा ऋणपत्रों का निर्गमन, (iv) विदेशी मुद्रा में ऋण (v) जन निक्षेप (vi) अनुदान एवं सहायता

औद्योगिक विकास बैंक के उपरोक्त सामान्य साधनों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत भी हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर यह ऋण ले सकता है। इस श्रेणि में उल्लेखनिय हैं RBI द्वारा स्थापित "राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष" तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित "विकास सहायता कोष"।